संख्या- 139 /2018 / 3604 /चार-2018 -82 (वि0)/ 2013

प्रेषक,

शिशिर
विशेष सचिव ,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 22 नवम्बर, 2018

विषयः- वित्तीय वर्ष 2018-19 में जनपद बदायूँ के डायट परिसर में आडिटोरियम प्रेक्षागृह का निर्माण कराये जाने हेतु प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 1877/सं0नि0-6(79)/2013-14 दिनांक 16 अक्टूबर, 2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद बदायूँ के डायट परिसर में आडिटोरियम प्रेक्षागृह का निर्माण कराये जाने हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपारेशन लि0 द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन धनराशि रू0 494.02 लाख की मूल्यांकित लागत प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा रू0 485.44 लाख आंकलित की गयी धनराशि के सापेक्ष शासनादेश संख्या- 43/1105/चार-2015-82(वि ) /2013 दिनांक 25 मार्च, 2015 द्वारा धनराशि रू0 80.00 लाख तथा शासनादेश संख्या- 92/3944/चार-2015-82(वि ) /2013 दिनांक 14 अक्टूबर, 2015 द्वारा धनराशि रू0 50.00 लाख , शासनादेश संख्या- 151/2016/143/चार-2016-82(वि0 ) /2013 दिनांक 16 सितम्बर, 2016 द्वारा धनराशि रू0 50.00 लाख , शासनादेश संख्या- 93/2017/1747/चार-2017-82(वि0 ) /2013 दिनांक 27 अगस्त, 2017 द्वारा धनराशि रू0 50.00 लाख तथा शासनादेश संख्या- 53/2018/747/चार-2018-82(वि0 ) /2013 दिनांक 24 मार्च, 2018 द्वारा धनराशि रू0 205.44 लाख अर्थात कुल रू0 435.44 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। तदक्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 50.00 लाख (रूपये पचास लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है।

2- शासनादेश संख्या- 43/1105/चार-2015-82(वि ) /2013 दिनांक 25 मार्च, 2015 में उल्लिखित शर्ते यथावत रहेंगी।

3- उपर्युक्त स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान संख्या-92 के अधीन लेखाशीर्षक -4202 -शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-04-कला तथा संस्कृति -800-अन्य व्यय -32 जनपद बदायूँ में प्रेक्षागृह का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च, 2018 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(शिशिर)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/

संख्या- 139 /2018/ 3604 /चार-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी, बदायूँ।
3- वित्त नियंत्रयक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- महा प्रबन्धक- जोन-7 , उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 , गोमती नगर लखनऊ।
6- परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 , 57 शक्तिनगर कालोनी, पीलीभीत बाईपास रोड बरेली।
7- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिशिर)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।